

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2020—आषाढ़ 26, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्र.-एफ 1-13-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल भोपाल को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित Hong Kong की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र.-एफ 1(ए)111-1986-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा श्री संजय चौधरी, भापुसे,

महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

क्र.-एफ 1(ए)168-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पु.मु., भोपाल ने दिनांक 24 से 30 जून 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ए.साईं मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि./सतर्कता), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020

फा. क्र. 2659-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में स्वीकृत उप-सचिव के एक पद को, अतिरिक्त सचिव के पद पर अपग्रेड करता है.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2020

फा. क्र. 2660-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश में विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में निर्धारित आय की पात्रता 1 लाख रुपये वार्षिक के स्थान पर 2 लाख रुपये वार्षिक किये जाने की सहमति इस शर्त पर प्रदान करता है कि उक्त कार्य की व्यवस्था बजटीय सीमा में की जाए.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2020

फा. क्र. 2794-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 608-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 19 जून 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री विपिन कुमार लावनिया, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	रीवा	रीवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा की हैसियत से श्री राघवेंद्र सिंह चौहान के स्थान पर.
2.	श्री सबीर अहमद खान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम.	रतलाम	रतलाम	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की हैसियत से श्री विष्णु कुमार सोनी के स्थान पर.
3.	श्री रामजी लाल ताम्रकार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट की हैसियत से.
4.	श्री संदीप श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.	दमोह	दमोह	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्र. 5017-एफ-3-33-2009-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुनील तिवारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्य अभियंता-चालू प्रभार), मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका

58 (जी) (i) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

माता निर्मला देवी मार्ग, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.)

Bhopal, the 30th June 2020

No.-Academy-ABVHVV-2020/1886.—Atal Bihari Vajpyee Hindi University has been established by Madhya Pradesh Act No. 34 of 2011. The main objective of the University is to connect unemployed youths of the nation with education, employment and self-employment, to select innovative courses and to promote education and employment in backward, helpless and tribal areas. Under the provision contained in Section 5 of the University Act, 2011 and Section 34 (s) of the University Act, the operating and management rules of study/education centre and institutions have been framed in Statute No. 13. In this regard according the decision of the Executive Council of the University dated 28th February 2020 in the event of additional financial burden on the Government and the University, it is permitted to have Study Centres/Study Extension Centres or Study Centres/Associate institutes in the whole of Madhya Pradesh. By this decision, the course of first Aid Treatment/Yoga Education/Natural Ayurveda/Management/Fashion Design are to be conducted through the centres.

Such study centres/extension centres/affiliates, infrastructure (building, furnitures, computers, laboratory and seating arrangement of students etc.) education infrastructure (provision to engage teachers, facilities for study and teaching, library and books etc.) will be done by the centres and the university will ensure registration of students, examination fees and examination related other activities. Financial expenditure will be incurred by the University from the funds received from the admission of student's physical and educational infrastructure and study-teaching students at the centres.

By order,

DR. VIJAY KUMAR SINGH. Registrar.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र.-1014-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 18 जून 2020

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम अमलावती तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.170 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.170 हे. भूमि हैं जो ग्राम अमलावती तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1	80	निजी भूमि	सिंचित	0.030	निहालसिंह पिता बद्रीलाल, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल जाति भील नि.ग्राम				
2.	82	निजी भूमि	सिंचित	0.010	गोपाल, ओमप्रकाश, भगवान, मायारानी, रेखा पिता भागीरथ, तेजुबाई विधवा रमेश, संतोश, उदयसिंह पिता रमेश, लक्ष्मीबाई पुत्री रमेश, रामकन्या विधवा जगदीश, जितेन्द्र, दीपक पिता जगदीश, नीलम पुत्री जगदीश, जाति बलाई				
3.	83	निजी भूमि	सिंचित	0.040	बाबूलाल, रणजीत, बहादुर पिता गिरवर, गीताबाई, अहिल्याबाई, सोरमबाई पुत्री गिरवर, निहालसिंह, सुगित्राबाई पिता बद्रीलाल जाति भील पता मंजूबाई, संतोशबाई, जीवन, पप्पू पिता प्रहलाद, भूमिस्वामी मुकेश, ममता पिता बनेसिंह, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल, सोदानसिंह, नरभेसिंह, तोफानसिंह, कमलसिंह पिता कनीराम, सजनबाई विधवा कनीराम जाति भील				
4.	84	निजी भूमि	सिंचित	0.020	बहादुरसिंह पिता गिरवर जाति भील				
5.	85	निजी भूमि	सिंचित	0.020	रंजीत पिता गिरवर जाति भील				
6.	86	निजी भूमि	सिंचित	0.050	कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति माली				
			योग	0.170					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

सरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-1020-भू-अर्जन-20

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.490 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.490 हे. भूमि है, जो ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1	195	निजी भूमि	सिंचित	0.150	प्रेमसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह, शांताबाई, शारदाबाई पिता अम्बाराम कलौता				
2.	199 200 201	निजी भूमि	सिंचित	0.080 0.050 0.040	वासुदेव, राघेश्याम, तुलसीराम, सीताराम, कौशल्याबाई पिता कल्ला, गेणाबाई विधवा रामचन्द्र, गम्बूलाल, देवकरण, रमेश, सत्यनारायण, नानूराम, फतेसिंह, पिता कल्ला, सोदराबाई, फुलाबाई पिता कल्ला, अचरतबाई विधवा रामप्रसाद, संतोष, ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद कलौता				
3.	218/1	निजी भूमि	सिंचित	0.060	धन्नालाल, मनोहरसिंह पिता देवीसिंह, कैलाश, तकतसिंह पिता देवीसिंह, कल्याणसिंह, राकेश सिंह पिता बद्रीलाल जाति कलौता				
4.	218/2	निजी भूमि	सिंचित	0.010	राकेशसिंह पिता बद्रीलाल कलौता				
5.	217/1 217/2	निजी भूमि	सिंचित	0.040 0.040	प्रेमबाई पति छोटेलाल जाति कलौता				
6.	236/1	निजी भूमि	सिंचित	0.020	सावित्राबाई पति बहादुरसिंह				
			योग	0.490					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-1046-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 22 जून 2020

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.860 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.860 हे. भूमि है, जो ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1	148/2 180	निजी भूमि	सिंचित	0.030 0.130	पूनमचंद पिता नंदा जाति बलाई				
2.	149 150 151	निजी भूमि	सिंचित	0.040 0.030 0.030	रामप्रसाद नवल, हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई बेवा किशन जाति बलाई				
3.	179	निजी भूमि	सिंचित	0.160	नगजीराम, करणसिंह पिता हिन्दू, रेशमबाई बेवा हिन्दूलाल, पिता बापू, लीलाबाई दत्तक पुत्र गंगाराम, चंदाबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई				
4.	183	निजी भूमि	सिंचित	0.040	अफसर अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी, अय्युब अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी जाति गुरालगान निवारी 23, क्षिप्रा न्यू बायपास, एबी रोड़, दशहरा मैदान देवास				
5.	184 186	निजी भूमि	सिंचित	0.080 0.130	मोहम्मद असलम शेख मोहम्मद अकरम शेख पिता मोहम्मद हुसैन शेख जाति नायता				
6.	198	निजी भूमि	सिंचित	0.040	शंकर पिता नंदा जाति बलाई				
7.	200	निजी भूमि	सिंचित	0.020	दुलेसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी				
8.	201	निजी भूमि	सिंचित	0.040	बहादुरसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी				
9.	202	निजी भूमि	सिंचित	0.080	भागवंताबाई पति भंवरसिंह जाति भिलाला				
10	203	निजी भूमि	सिंचित	0.010	राधाकिशन पिता बोंदाजी जाति गारी				
			योग	0.860					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-1070-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 26 जून 2020

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.221 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.221 हे. भूमि हैं जो ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1	40/5	निजी भूमि	सिंचित	0.038	पीरा पिता भवान जाति कलौता				
2.	40/4	निजी भूमि	सिंचित	0.051	नरेन्द्र पिता हरिशंकर, व राजेश पिता हरिशंकर रानूबाई विधवा हरिशंकर नि.ग्राम				
3.	40/6	निजी भूमि	सिंचित	0.060	शालिगराम पिता शंकर जाति कलौता नि.ग्राम				
4.	33/1/2	निजी भूमि	सिंचित	0.063	दौलतसिंह, हरिराम, पिता रामरतन, जाति कलौता				
5.	33/1/1	निजी भूमि	सिंचित	0.009	काशीराम पिता हट्टेसिंह मकवाना नि.ग्राम				
	/								
	मिन-2								
			योग	0.221					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक-रीडर-1-2020-56

अशोकनगर, दिनांक 19 जून 2020

1. म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014/सात-2ए दिनांक 12 नवम्बर 2014(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 क्रमांक 30 सन् 2013) के अनुसार सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों हेतु कृषकों की "आपसी सहमति से भूमि कयनीति" के अंतर्गत भूमि/स्थावर सम्पत्ति के अर्जन हेतु विभाग जल संसाधन से सार्वजनिक प्रयोजन बनेट तालाब निर्माण योजना हेतु भूमि कय प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

2. तदनुसार सर्व साधारण हितबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के स्वामित्व, मापन आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति, प्रकाशन दिनांक से 15 दिवसों में हितबद्ध व्यक्ति स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कलेक्टर अशोकनगर को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है।

// अनुसूची //

क्रम संख्या	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	आपसी सहमति से की जाने वाली भूमि का विवरण			शासकीय विभाग उपक्रम का नाम प्राधिकृत अधिकारी	अन्य विवरण
		सर्वे क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	क्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7
1	लल्लीराम पुत्र रतनसिंह जाति नंद निवासी ग्राम कोहरवास	132 ग्राम कोहरवास	0.303 हे.	0.303 हे.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर	—

?????????, कलेक्टर, जिला अशोकनगर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-05-अ-82-20-21-9840

सागर, दिनांक 22 जून 2020

मौजा कंदारी पट.ह.नं.-36 तहसील बण्डा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : कंदारी
 4. पट.ह.नं.- : 36
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.200 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/1	0.180	0.090	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	37/1	0.170	0.090	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41/1	1.130	0.210	कृषि भूमि
2	प्रीतम सिंह वल्द भगवान सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/2	0.170	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	37/2	0.170	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	40/2	0.220	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41/2	1.120	0.470	कृषि भूमि
3	कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42	0.690	0.220	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	713	0.680	0.050	कृषि भूमि
4	धन्नी पिता शंकर दशोदाबाई पुत्री शंकर गिरवर पिता उमराव दयाराम नन्नेलाल पिता वक्ते अमोल रगवीर प्रदीप नंदकिशोर पिता नन्ना पूनाबाई वेवा नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	682	0.590	0.210	कृषि भूमि
5	गुलाबसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	683	0.220	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	684/1	0.470	0.260	कृषि भूमि
6	रामसींग पिता गोकलसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	684/2	0.320	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	686	0.200	0.010	कृषि भूमि
7	महतापसींग पिता मुलुसिंह राघारानी वेवा फेरनसींग निखता चित्तर पिता फेरनसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	685/1	2.170	0.010	कृषि भूमि
8	सूरतसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	687/1	0.400	0.110	कृषि भूमि
9	अनुरुद्ध पिता गोकलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	687/2	0.580	0.100	कृषि भूमि
10	मंगलसिंह पिता शिवराज कौशल्याबाई वेवा शिवराज साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	711	1.030	0.050	कृषि भूमि
11	कौशल्याबाई वेवा शिवराज रजनी वेवा मंगलसिंह कृपालसिंह नाबा पिता मंगल सिंह कृष्णराज नाबा पिता मंगलसिंह गजेन्द्र सिंह नाबा पिता मंगल सिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	721/1	3.490	0.080	कृषि भूमि
12	कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	712	0.370	0.050	कृषि भूमि
योग:-			20	14.370	2.200	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-07-अ-82-20-21-9840

मौजा कंदारी पट.ह.नं.-28 तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : मगरघा
 4. पट.ह.नं.- : 28
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 5.480 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	राजाराम वल्द नारानजहू क्रांतिबाई वेवा इमरतसींग साकिन बहरोल भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/1	0.800	0.230	कृषि भूमि
2	राकेश पिता विजय सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/2/2	0.400	0.250	कृषि भूमि
3	कपिल नाबा. अमन नाबा. विनीता नाबा. पिता कल्याण सिंह वली व खुद माँ बैजन्तीबाई वेवा कल्याणसींग राजकुमारी नाबा. शि ल्पी नाबा. पिस. वीरसिंह वली व खुद माँ ववीता वेवा वीरसींग केतकीबाई पुत्री कुदूसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	48	0.640	0.230	कृषि भूमि
4	जोधनसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	54	0.530	0.010	कृषि भूमि
5	राहुल रोहित नाबा. पिता भोपालसींग पालक माँ कुन्तीबाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	55	0.790	0.280	कृषि भूमि
6	भगवानसिंह मलखनसींग पिता सूरतसींग भगुन्तीबाई वेवा सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1	0.960	0.090	कृषि भूमि
7	मंगलसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63	0.810	0.340	कृषि भूमि
8	जगभानसिंह पिता जोधनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64	1.220	0.010	कृषि भूमि
9	बलराम पिता सिब्बे काछी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66	0.480	0.260	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	68/1	0.070	0.010	कृषि भूमि
10	संजय पिता मणीलाल रामकली वेवा मणीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67	0.370	0.020	कृषि भूमि
11	मुलायम सिंह पिता दलीप सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73	1.070	0.060	कृषि भूमि
12	कड़ोरी पिता ननेसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	74	0.660	0.220	कृषि भूमि

13	लच्छू पिता चेतू पानबाई कुशुमबाई पुत्री चेतू देवा चेतू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	75	0.410	0.080	कृषि भूमि
14	परषोत्तम पिता देवसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	78/2	0.150	0.100	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	79/2	0.030	0.020	कृषि भूमि
15	रतीराम नारन सुखराम पिस. वंशी बड़ीबहू देवा वंशी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	91	0.450	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	92	0.320	0.120	कृषि भूमि
16	चौदे पिता फूलसींग बेसलीवारी देवा फूलसींग कुन्दन जगत हल्काई पिता नंना सौर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	93	0.700	0.180	कृषि भूमि
17	विक्रमसींग पिता हीरासींग नन्नीबाई देवा हीरासींग रूपसींग पिता दौलतसींग भबूदसींग शेरसींग लक्ष्मनसींग पिता धीरे लललीबाई सिलोचना पिता धीरे फूलाबाई देवा धीरे राजमहेन्द्र अमरसिंह पिस यतनसिंह गायत्री देवा यतनसिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	134	1.220	0.470	कृषि भूमि
18	केशरबाई पति शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामील	भूमिस्वामी	135	0.150	0.010	कृषि भूमि
19	कल्याण सिंह पिता सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147/1	0.790	0.010	कृषि भूमि
20	ऋषिराज पिता खूबसींग साकिन सेमरादात भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147/2	0.790		कृषि भूमि
21	हेमलता जोजे राजमहेन्द्र सिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148	0.870	0.380	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	149	0.020	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	151	0.840	0.270	कृषि भूमि
22	भगवानसींग खुमानसींग अमोल चंदनसींग पिता मोतीसींग पानबाई पुत्री लक्ष्मन सींग कड़ोरे मेघराज राजमहेन्द्र पिता सिरदारसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	153/1	1.070	0.100	कृषि भूमि
23	प्रमोद कुमार पिता गनपत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/1	0.300	0.050	कृषि भूमि
24	कोमलसींग भगवानसींग पिता भानप्रताप जानकीबाई देवा भानप्रताप साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/2	1.390	0.230	कृषि भूमि
25	संतोषरानी पति हरिराम विश्वकर्मा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	157/3	0.400	0.200	कृषि भूमि
26	हरीराम लक्ष्मीशंकर पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	161	0.700	0.100	कृषि भूमि
27	भैयाराम पिता बाबूसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224	1.580	0.430	कृषि भूमि
28	शिवराज सिंह पिता गनेश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	1.330	0.300	कृषि भूमि
29	गजराजसींग शिवराजसींग देशराजसींग पिता गनेश सींग गोमतीबाई देवा गनेश सींग सौरम गौरव नाबालिग पिता उदयमान वली व खुद माँ सुनीता देवा उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	232	1.560	0.400	कृषि भूमि
योग:-			34	23.870	5.480	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-08-अ-82-20-21-3843

मौजा पजनारी पट.ह.नं.-34 तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : पजनारी
 4. पट.ह.नं.- : 34
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.960 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान नाबा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	805	0.660	0.230	कृषि भूमि
2	प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान नाबा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	806	0.640	0.190	कृषि भूमि
3	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	813	1.070	0.300	कृषि भूमि
4	मुलूसींग पिता देवसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	817/1	0.180	0.120	कृषि भूमि
5	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	814/2	1.510	0.350	कृषि भूमि
6	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	818	1.050	0.240	कृषि भूमि
7	सीताराम खेतसिंह पिता रूपसींग लोधी साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	815/1	0.570	0.130	कृषि भूमि
8	रामाधार कमलप्रसाद शिवप्रसाद रामसहाय पिता बाबूलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	815/2	0.600	0.130	कृषि भूमि
9	रामसींग पिता हरीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	817/2	0.180	0.110	कृषि भूमि
10	बहादुरसींग राजासींग रविन्द्रसींग पिता लक्ष्मनसींग लोधी साकिन खुवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	838/2	2.080	0.020	कृषि भूमि
11	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	840	0.540	0.300	कृषि भूमि

12	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	812	1.780	0.240	कृषि भूमि
13	निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/1	0.730	0.160	कृषि भूमि
14	वीरनसींग हाकमसींग सीताराम खेतसींग पिता रूपसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	841	0.620	0.340	कृषि भूमि
15	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	874/1	0.810	0.200	कृषि भूमि
16	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/2/1	0.800	0.170	कृषि भूमि
17	महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	850/1 371/2/2	0.230		कृषि भूमि
18	मुलूसींग पिता देवसींग निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई देवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग साकिन पजनारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	874/2	0.400	0.200	कृषि भूमि
19	अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	875	0.260	0.110	कृषि भूमि
20	वीरनसींग हाकमसींग पिता रूपसिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	876	1.280	0.420	कृषि भूमि
योग:-			20	15.990	3.960	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-06-अ-82-20-21-3841

मौजा रीछई बिनैका पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के

अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : रीछई विनैका
 4. पट.ह.नं.- : 29
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.210 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शैलेन्द्र पिता लक्ष्मणसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	15/2	1.200	0.440	कृषि भूमि
2	गोविन्द सींग देवेन्द्र सींग पिता करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31/2	0.600	0.200	कृषि भूमि
3	दरयावसिंह पिता गिरवर सिंह लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31/3	2.300	0.500	कृषि भूमि
4	करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	32/1	0.290	0.440	कृषि भूमि
5	करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	32/2	0.290		कृषि भूमि
6	राजमहेन्द्र अमरसिंह पिता रतनसिंह गायत्रीबाई देवा रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33	0.630	0.120	कृषि भूमि
7	अनंतसींग पिता गिरवर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2	0.600	0.120	कृषि भूमि
8	रतीराम वल्द घनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	40/1	0.560	0.300	कृषि भूमि
9	रामचरण पिता चत्ते साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	81/1	0.750	0.060	कृषि भूमि
10	जुगराज पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43	0.220	0.200	कृषि भूमि
11	नन्नूराम पिता काशीराम निवासी सेमरादांत भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44	0.340	0.260	कृषि भूमि
12	खरे पिता बखतसींग राय साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45	0.090	0.090	कृषि भूमि
13	जानकीप्रसाद जगदीश प्रसाद नरहरी पिता छोटेदाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46	0.650	0.090	कृषि भूमि
14	रामप्रसाद पिता चत्ते साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	81/2	0.750	0.030	कृषि भूमि
15	परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82	0.100	0.090	कृषि भूमि
16	परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83	0.290	0.270	कृषि भूमि
योग:-			16	9.660	3.210	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के सम्मुख (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आवेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-10-अ-82-20-21-3845

मौजा सेमरादांत पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये रागी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : सेमरादांत
 4. पट.ह.नं.- : 29
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.980 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	करन पिता धरमा साहू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	17/3	0.240	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	18/3	0.260	0.160	कृषि भूमि
2	सौरभ ना.गौरव बा. खेतसींग ना.बा. पिता जमना पालक व खुद माँ ऊषाबाई वेवा जमना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	17/4	0.240	0.130	कृषि भूमि
3	मोहन पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/1	0.270	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	202/3	0.550	0.240	कृषि भूमि
4	पार्वती पति मोहन रजक साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/2	0.270	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	18/6	0.260	0.060	कृषि भूमि
5	कुन्नु पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	18/5	0.260	0.060	कृषि भूमि
6	रविन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उर्फ भारत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	19/1	1.530	0.440	कृषि भूमि
7	कुवरबाई वेवा माखन राजाबेटी पुत्री माखनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	19/3	2.080	0.080	कृषि भूमि
8	मगवानसींग पिता मंगलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	1.220	0.220	कृषि भूमि
9	भारतसींग उर्फ नरेन्द्रसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	20/2	0.800	0.180	कृषि भूमि
10	हरीबाई पति मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/1	0.420	0.140	कृषि भूमि
11	चन्द्रानी पति रामसींग गड़रिया साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/3	0.430	0.140	कृषि भूमि
12	मनोहर पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/1	0.490	0.010	कृषि भूमि

13	पारवती जोजे घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/2	1.010	0.010	कृषि भूमि
14	सुदामा नरेश संतोष गब्बर पिता हजारी सरस्वती पुत्री हजारी नन्नीबाई देवा हजारी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/3	0.900	0.010	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	42/4	0.540	0.010	कृषि भूमि
15	काशीराम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/5	0.480	0.010	कृषि भूमि
16	परषोत्तम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42/6	0.480	0.010	कृषि भूमि
17	प्रेमबाई देवा मंगलसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43	0.170	0.170	कृषि भूमि
18	साहब सींग पिता रंधीरसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44	0.170	0.170	कृषि भूमि
19	दशोदाबाई देवा देवीसिंग राजकुमारी पुत्री इंदरसिंग रुकमनबाई किशनबाई पुत्री मुन्नासिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	45	0.150	0.040	कृषि भूमि
20	मोहनसिंग पिता भदई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/2	0.300	0.120	कृषि भूमि
21	नरेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/3	0.400	0.170	कृषि भूमि
22	युवराजसिंह पिता वीरसिंह साकिन मगरधा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	50	0.220	0.010	कृषि भूमि
23	कमलाबाई पुत्री भैयालाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51	0.210	0.040	कृषि भूमि
24	जालम पिता बबुआ रजुवा गोविन्दा पिता अपरा अरविन्द श्रीकांत नाबालिग पिता मिहीलाल वली व माँ खुद. केशरबाई देवा मिहीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	55	0.180	0.060	कृषि भूमि
25	चरणदास पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/1	0.050	0.040	कृषि भूमि
26	देवी पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/2	0.060	0.050	कृषि भूमि
27	कमलेश पिता करन काशीराम पिता करन सरस्वती देवा करन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1/3	0.050	0.040	कृषि भूमि
28	मनगोहन पिता रागप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/2	0.110	0.090	कृषि भूमि
29	वीरन पिता फूलचंद अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/3	0.100	0.080	कृषि भूमि
30	मलखान पिता गिरधारी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	59	0.830	0.110	कृषि भूमि
31	कल्याण सींग पिता सूरतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/1	1.040	0.010	कृषि भूमि
32	रामसिंग पिता हनमतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/2	0.400		कृषि भूमि
33	चतुरसिंग उर्फ मन्दू पिता कुंजी पारवती देवा कुंजी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	89	0.470	0.260	कृषि भूमि
34	धनसिंग पिता बन्दूसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/1	0.620	0.290	कृषि भूमि
35	तुलसीराम पिता रज्जीलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.600	0.230	कृषि भूमि
36	भगवतशरण पिता तुलसीराम मिश्रा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/3	1.600	0.240	कृषि भूमि
37	दुर्गेश पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.990	0.220	कृषि भूमि
38	प्रेमनारायण पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/3	1.000	0.220	कृषि भूमि
39	कल्लोबाई जोजे अन्नूसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188/2	1.600	0.310	कृषि भूमि
40	लक्ष्मीबाई जोजे युवराज सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	198/1	0.460	0.010	कृषि भूमि
41	मूलचंद बा.थानसिंग नाबा.पिता चिंखा वली व खुद माँ दोपतीबाई देवा चिंखा पटैल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	201	0.430	0.230	कृषि भूमि
42	किशोरी पिता घरमा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	202/1	1.060	0.060	कृषि भूमि
43	भरतसिंग पिता मूरतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.780	0.290	कृषि भूमि
44	गुलाब पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	204	0.400	0.100	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	209/1	0.720	0.120	कृषि भूमि
45	धनश्याम पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	209/2	1.440	0.270	कृषि भूमि
46	रगवर रामचरण सेवम पिता धुन्धे साकिन खुवारी	भूमिस्वामी	208	0.630	0.190	कृषि भूमि
47	श्रीराम पिता मूरतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/1	0.650	0.060	कृषि भूमि
48	जनकसिंग पिता मूरतसिंग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	211/2	0.660	0.100	कृषि भूमि
49	उमाशंकर पिता रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	258/1	2.060	0.250	कृषि भूमि
50	नारायण पिता रगवर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259	1.030	0.170	कृषि भूमि
51	मोनसिंग हीरा रामप्रसाद विजय पिता भदई रामकली देवा भदई मुलाबाई उर्फ रोड़ावारी पुत्री भदई साकिन देह	भूमिस्वामी	278	0.930	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	279	0.240	0.150	कृषि भूमि
52	भागबाई पति गफ्फू अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	280/2	0.400	0.220	कृषि भूमि
53	उमाशंकर देवेन्द्र पिता रामेश्वर प्रसाद चन्द्रवती देवा रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281	0.040	0.040	कृषि भूमि

54	भैयाराम पिता हजारी, पानसौंग पिता हजारी, संझलीबहू पिता हजारी साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/1	0.130	0.010	कृषि भूमि
55	पार्वती पुत्री सरू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	248	0.100	0.030	कृषि भूमि
56	महेश दिनेश सुरेन्द्र उमेन्द्र उमाकांत पिता शालकराम आशाबाई ऊषाबाई पुत्री शालकराम राधारानी वेवा शालकराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260	0.830	0.270	कृषि भूमि
योग:-			62	37.040	7.980	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-11-अ-82-20-21-3849

मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-I-(R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|
| (1) | परियोजना का नाम | : | बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | बण्डा |
| | 3. ग्राम | : | हनौता उबारी |
| | 4. पट.ह.नं.- | : | 16 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.630 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (स्कबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			
1	कुंजन पिता केशरीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	692/2	0.600	0.020	कृषि भूमि
2	संतोष कुमार पिता डालचंद साकिन बण्डा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	695/1	2.360	0.560	कृषि भूमि
3	सौरभ नाबालिग वल्द व वली टेकचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	696/2	0.800	0.050	कृषि भूमि
योग:-			03	3.760	0.630	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपलन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) के अंतर्गत

नर्मदा घाटी विकास विभाग

ढीमरखेड़ा, 24 जून 2020

क्र. 395/2020 राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना

संख्या 42/भू.अ./2019 तारीख 25 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 2 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 2 फरवरी 2020 को दैनिक भारती कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण

बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम बन्दोरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 32/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.017 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
103	0.001	147	0.003
102	0.001	149	0.004
101	0.002	144	0.002
99	0.001	73	0.001
97	0.001	74	0.001
		Total	0.017 Ha.

2. ग्राम बार प.ह.नं. 11 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 33/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
550	0.007	415	0.000
546	0.008	486	0.001
583	0.005	583	0.003
414	0.001	544	0.003
		Total	0.028 Ha.

3. ग्राम बसेड़ा प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 34/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.139 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
178	0.003	97	0.001
177	0.011	98	0.001
174	0.007	153	0.006
214	0.005	150	0.004
166	0.005	148	0.006
163	0.002	123	0.002
166	0.002	126	0.004
165	0.002	129	0.007
164	0.002	115	0.004
230	0.001	112	0.002
84	0.003	236	0.002
86	0.006	281	0.005
95	0.004	280	0.004
78	0.002	279	0.004
77	0.001	xx	0.003
96	0.004	277	0.002
267	0.004	299	0.002
286	0.011	250	0.003
297	0.008	Total	0.139 Ha.

4. ग्राम भितरीगढ़ प.ह.नं. 4 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 35/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.019हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
2	0.014		
4/2	0.001		
7	0.004		
Total	0.019 Ha.		

5. ग्राम भूला प.ह.नं. 6 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 36/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.531 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
683	0.024	698	0.002
685	0.007	695	0.002
696	0.004	694	0.002
677	0.004	693	0.005
676	0.004	676	0.004
676	0.005	674	0.005
659	0.007	665	0.002
658	0.010	664	0.003
657	0.004	663	0.003
656	0.007	588	0.003
655	0.008	587	0.002
653	0.013	562	0.001
717	0.013	563	0.004
718	0.013	564	0.004
720	0.012	538	0.001
643	0.005	535	0.004
641	0.006	534	0.004
642	0.008	526	0.002
640	0.008	527	0.001
618	0.004	528	0.001
639	0.014	529	0.001
634	0.005	530	0.002
633	0.019	372	0.003
630	0.009	374	0.003
629	0.001	369	0.002
628	0.020	368	0.001
676	0.001	653	0.0001
700	0.003	717	0.004
697	0.001	716	0.011
715	0.001	736	0.002
731	0.009	735	0.004
653	0.001	740	0.011

651	0.002	626	0.012
650	0.004	625	0.003
652	0.001	492	0.001
595	0.001	491	0.002
596	0.007	490	0.001
606	0.006	484	0.003
607	0.003	493	0.004
539	0.001	155	0.006
512	0.001	153	0.003
511	0.007	150	0.002
514	0.004	152	0.006
381	0.002	153	0.006
380	0.004	168	0.002
379	0.001	488	0.002
378	0.001	487	0.004
393	0.004	169	0.003
408	0.003	170	0.002
318	0.002	172	0.003
405	0.002	174	0.004
321	0.001	175	0.002
324	0.001	179	0.003
323	0.001	180	0.001
302	0.001	483	0.003
299	0.001	481	0.008
633	0.001	476	0.004
631	0.001	192	0.001
632	0.001	193	0.007
635	0.002	194	0.002
636	0.002	65/1	0.004
637	0.004	62	0.001
737	0.002	63	0.005
		Total	0.531 Ha.

6. ग्राम बिजैया प.ह.नं. 7 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 37/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.109 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
173	0.004	127	0.004
217	0.011	8	0.002
215	0.003	9	0.001
216	0.002	7	0.002
195	0.013	217	0.008
198	0.005	210	0.007
200	0.001	209	0.013
151	0.005	151	0.001
150	0.002	152	0.002
149	0.003	153	0.002
146	0.004	155	0.005
93	0.002	157	0.005
122	0.003	88	0.001
		Total	0.109 Ha.

7. ग्राम देवरी पाठक प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 38/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.344 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
249	0.009	299	0.001
248	0.002	298	0.001
256	0.004	297	0.001
258	0.008	293	0.001
260	0.002	294	0.001
261	0.018	270	0.001
296	0.003	271	0.001

296	0.003	271	0.001
311	0.011	272	0.001
310	0.004	214	0.001
309	0.011	213	0.001
329	0.011	212	0.001
330	0.001	210	0.002
346	0.020	209	0.001
429	0.001	188	0.001
427	0.001	187	0.001
430	0.005	189	0.001
431	0.04	190	0.001
435	0.017	299	0.001
451	0.004	296	0.001
450	0.004	311	0.008
453	0.006	310	0.001
454/4	0.001	315	0.001
90	0.006	314	0.007
89	0.011	450	0.004
87/438	0.004	456	0.001
87	0.006	457	0.004
250	0.007	458/2	0.002
244	0.008	464	0.003
242	0.005	450	0.001
451	0.002	27	0.003
435	0.007	28	0.009
102	0.007	34	0.001
103	0.002	30	0.005
111	0.002	33	0.005
98	0.003	32	0.004
113	0.003	31	0.001
114	0.002	66	0.001
115	0.021	65	0.002
50	0.006	59	0.003
49	0.001	58	0.001
25	0.007	Total	0.344 Ha.

8. ग्राम डूंडी प.ह.नं. 45 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 39/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
137	0.004	50	0.001
138	0.005	42/2	0.001
144/1	0.003	41	0.001
84	0.004	40	0.003
26	0.008	19	0.001
24	0.001	17	0.001
37	0.005	16	0.002
38/1	0.005	50	0.001
50	0.004	42/1	0.005
59	0.004	42/2	0.001
61	0.002	42/3	0.002
70	0.001	44/1	0.004
68	0.001	44/2	0.001
		Total	0.069 Ha.

9. ग्राम घुघरी प.ह.नं. 01 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 40/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.253 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
31	0.017	126	0.011
32	0.007	148	0.015
33	0.016	147	0.006
41	0.009	151	0.007
51	0.010	178	0.016
52	0.004	189	0.009
54	0.010	190	0.002

68/1	0.009	186	0.005
68/3	0.003	207	0.005
66/3	0.002	147	0.003
66/2	0.011	148	0.002
94/2	0.008	144	0.004
94/1	0.004	143	0.002
111	0.007	131	0.001
109	0.005	134	0.001
109/118	0.008	135	0.003
125	0.013	Total	0.235 Ha.

10. ग्राम जजनगरा प.ह.नं. 06 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 41/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.104 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
5	0.005	49	0.012
6	0.006	50	0.001
19	0.009	98	0.006
18	0.005	97/1	0.002
114	0.004	97/2	0.005
116	0.004	94	0.006
111	0.001	79	0.001
24	0.006	78	0.005
25	0.014	77	0.001
45	0.003	76	0.005
44	0.001	33	0.001
43	0.002	Total	0.104 Ha.

11. ग्राम झिरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 42/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.119 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
1	0.007	95	0.018
231	0.001	117	0.016
18	0.004	119	0.005
17	0.006	131	0.009
16	0.004	129	0.009
15	0.002	195	0.012
31	0.001	101	0.003
30	0.002	103	0.007
8	0.002	105	0.003
1078	0.004		
109	0.002		
Total	0.019 Ha.		

12. ग्राम कनौजा प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 43/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.356 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
179	0.023	173/1-2	0.002
177	0.019	27/293	0.007
177	0.002	28	0.001
190	0.009	26	0.008
171	0.022	170	0.001
173	0.004	168	0.001
170	0.006	171	0.005
170	0.005	35	0.002
169	0.008	34	0.005
162	0.006	40/2	0.001

164/1	0.017	32	0.002
164/2			
154	0.001	31	0.001
155	0.011	156	0.004
157	0.014	148	0.006
156	0.020	149	0.002
145	0.006	150	0.008
130	0.029	210	0.006
130	0.019	212/2	0.008
190	0.012	212/1	0.001
249	0.005	218	0.009
190	0.002	231	0.003
174	0.001	230	0.001
175/1-3	0.005	156	0.006
122	0.007	104	0.002
103	0.003	130	0.006
102	0.003	131	0.006
		Total	0.356 Ha.

13. ग्राम करौंदी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 44/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.356 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
22	0.005	198	0.001
217	0.001	174	0.001
220	0.005	24	0.001
221	0.001	171	0.001
222	0.007	170	0.001
226	0.003	233	0.002
228	0.004	390	0.001
229	0.002	303	0.001
232	0.003	300	0.003

233	0.004	285	0.003
235	0.001	287	0.001
236	0.001	286	0.003
238	0.001	280	0.004
202	0.002	275	0.011
199	0.006	Total	0.078 Ha.

14. ग्राम कारीपाथर प.ह.नं. 9 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 45/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.058 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
136	0.003	95	0.002
137	0.001	439	0.002
142	0.002	438	0.002
132	0.001	435	0.002
133/3	0.001	435	0.001
133/2	0.001	403	0.001
132	0.003	404	0.002
123	0.002	415	0.001
163	0.002	405	0.001
167	0.002	408	0.002
161	0.002	384	0.002
160	0.001	383	0.001
159	0.001	382	0.001
153	0.003	382	0.001
155	0.001	355	0.003
154	0.002	353	0.001
92	0.001	299	0.001
93	0.002	287	0.002
94	0.001	Total	0.058 Ha.

15. ग्राम कटरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 46/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.011 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
32	0.005		
	0.004		
	0.002		
Total	0.011 Ha.		

15. ग्राम खण्डवारा प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 47/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.357 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
512	0.014	390	0.004
507	0.020	378	0.005
505	0.010	370	0.011
493	0.007	370/681	0.002
487	0.010	371	0.001
485	0.008	343	0.004
484	0.018	341	0.002
482	0.015	381	0.002
432/684	0.001	365	0.003
428	0.007	364	0.002
431	0.005	360	0.003
429	0.010	421	0.003
394	0.009	420	0.002
421	0.005	419	0.002
394	0.021	498/683	0.003
448	0.003	164	0.001
393	0.006	421	0.001

394	0.002	121	0.004
400	0.004	107	0.003
403	0.001	507	0.002
404	0.001	508	0.004
402	0.001	510/668	0.001
401	0.002	620/660	0.002
180	0.001	620	0.002
181	0.002	622	0.001
315	0.002	623	0.004
324	0.001	624	0.003
428	0.005	625	0.002
125	0.018	628	0.002
126/678	0.003	629	0.007
126/658	0.002	630	0.001
106	0.004	630/679	0.001
127	0.003	608	0.001
104	0.001	609	0.001
103/674	0.002	567	0.003
101	0.001	568	0.003
97	0.001	550	0.002
98	0.004	549	0.003
92	0.003	652	0.004
89	0.001	653	0.003
91	0.003	651	0.002
		Total	0.357 Ha.

16. ग्राम कुदवारी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 48/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.117हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
257	0.005	61	0.001
258	0.001	62	0.003
411	0.004	54	0.002
410	0.001	33	0.002
427	0.002	111	0.001
428	0.001	112	0.002
426	0.002	164	0.005
446	0.001	168	0.001
425	0.001	167	0.006
424	0.001	172/697	0.001
411	0.001	172	0.003
410	0.002	218	0.001
431	0.001	217	0.001
407	0.001	215/1	0.002
406/3	0.001	215/2	0.003
406/1	0.001	310	0.001
405/1	0.001	309	0.002
405/2	0.001	323	0.001
404	0.001	322/4	0.001
403	0.002	322/2	0.001
491	0.002	322/1	0.001
494	0.001	328	0.001
493	0.001	329	0.001
4	0.003	15	0.003
5	0.001	190	0.001
58	0.003	191	0.007
57/1	0.002	192	0.003

196	0.004		
199	0.001		
208	0.014		
Total	0.117 Ha.		

17. ग्राम कुसेरा प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 49/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.062 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
21	0.009	47	0.002
20	0.009	49	0.008
13	0.003	50	0.007
10	0.001	65	0.001
22	0.002	63	0.003
23	0.009	64	0.003
31/2	0.002	60	0.001
44	0.002	Total	0.062 Ha.

18. ग्राम मड़ेरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 50/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
388	0.015	348	0.001
369	0.004	338	0.001
366	0.001	340	0.003
367	0.001	340	0.001
364	0.002	307	0.002
363	0.001	305/391	0.001
357	0.002	303	0.001

304	0.002	287	0.0012
285	0.002	246	0.001
286	0.001	Total	0.028 Ha.

19. ग्राम महनेर प.ह.नं. 22 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 51/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.151 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
591	0.005	562	0.007
592/1	0.017	563	0.010
581	0.015	560	0.015
580	0.004	553	0.010
518	0.009	552	0.002
519	0.008	551	0.022
520	0.001	550	0.009
521	0.006	549	0.009
522	0.002	Total	0.151 Ha.

20. ग्राम परसेल प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 52/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.114 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
5	0.001	152	0.013
85	0.001	159	0.014
82	0.001	126	0.003
81	0.002	172	0.008
77	0.001	181	0.007
79	0.001	217	0.003
154	0.011	126	0.006

125	0.013	84	0.001
104	0.005	53	0.001
106	0.003	51	0.001
81/2	0.002	49	0.001
82	0.007	48	0.005
83	0.002	46	0.004
		Total	0.114 Ha.

21. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 53/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.080 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
40	0.004	98	0.004
37	0.036	102/1	0.001
31/1	0.014	101/2	0.001
31/3	0.004	154	0.007
31/2	0.007	Total	0.080 Ha.

22. ग्राम सहलावन प.ह.नं. 25 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 54/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.061 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
254	0.003	164	0.001
250	0.002	167	0.002
251	0.003	67/1	0.002
226	0.002	66	0.001
224	0.003	63	0.002
221	0.002	64	0.003
220	0.003	67/1	0.001

71	0.003	58	0.002
70/1	0.004	56	0.005
70/2	0.002	34	0.005
122	0.002	35	0.004
64	0.004	14/1	0.001
		Total	0.061 Ha.

23. ग्राम सारंगपुर प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 55/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.374 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
560	0.026	141	0.003
563	0.008	143	0.005
564	0.012	289	0.001
565	0.005	288	0.004
587	0.012	149	0.002
588	0.046	150	0.004
588	0.007	151	0.002
2	0.001	242	0.008
3	0.001	241	0.003
11	0.004	240	0.003
500	0.010	239	0.001
501	0.003	168	0.001
485	0.002	235	0.001
486	0.001	234	0.007
482	0.006	201	0.002
476	0.004	242	0.001
473	0.006	168	0.001
472	0.001	152	0.002
471	0.004	154	0.002
468	0.004	160	0.002
140	0.002	157	0.001

159	0.001	357	0.004
158	0.008	359	0.001
133	0.005	354	0.001
473	0.001	338	0.003
471	0.001	337	0.002
444	0.002	419	0.006
466	0.002	312	0.002
464	0.004	313	0.004
463	0.003	314	0.002
451	0.004	273/600	0.002
452	0.003	273	0.003
500	0.002	262	0.001
589	0.002	274	0.002
583	0.004	275	0.001
582	0.005	261	0.002
405	0.004	582	0.007
404	0.005	581	0.006
400	0.002	382	0.004
401	0.004	381	0.004
382	0.007	412	0.001
381	0.005	413	0.004
371	0.001	556	0.003
373	0.003	555	0.002
362	0.003	Total	0.374 Ha.

24. ग्राम सरसवाही प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 56/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
1225	0.006	145	0.005
1224	0.010	144	0.001
1208	0.007	129	0.004
1210	0.009	127	0.003
1201	0.001	121	0.002
UK	0.001	UK	0.001
911	0.001	120	0.003
908	0.002	116	0.002
909	0.007	115	0.002
900	0.012	111	0.005
898	0.08	112	0.002
701	0.006	103	0.002
702	0.002	101	0.003
698	0.004	100	0.002
697	0.002	99	0.001
671	0.050	145	0.006
621	0.006	UK	0.001
620	0.002	16	0.017
619	0.005	1212	0.003
606	0.003	1213	0.001
606	0.012	1216	0.002
225	0.001	1217	0.003
226	0.006	1218	0.002
223	0.003	UK	0.001
233	0.002	1172	0.004
234	0.002	1173	0.008
244	0.004	1155	0.009
235	0.004	1154	0.003
142	0.002	1153	0.002

1149	0.003	857	0.003
1150	0.001	704	0.006
1121	0.001	705	0.005
1122	0.001	708	0.005
1123	0.002	709	0.001
1073	0.002	713	0.003
1074	0.001	721	0.001
1075	0.002	720	0.001
1079	0.004	726	0.001
1080	0.003	736	0.002
1081	0.002	735	0.001
1082	0.006	734	0.001
1060	0.005	606	0.005
1046	0.002	623/11,2,4	0.004
1047	0.002	623/3, 5	0.001
1048	0.001	643	0.002
1049	0.001	644	0.001
1039	0.001	649	0.006
898	0.001	652/1	0.004
899	0.005	652/2	0.002
896	0.006	652/3	0.002
895	0.005	606	0.001
929	0.002	607	0.001
930	0.003	608	0.001
885	0.007	609	0.002
884	0.002	610	0.001
873	0.001	611	0.002
872	0.001	612	0.001
870	0.009	601	0.002
952	0.001	600	0.008
867	0.007	596	0.010
866	0.006	595	0.002
859	0.007	594	0.005
850	0.003	154	0.006

155	0.008	135	0.013
204	0.005	106	0.002
203	0.005	Total	0.517 Ha.

25. ग्राम शिवराजपुर प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 57/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.082 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
20	0.004	10/3	0.004
20	0.010	10/2	0.003
19	0.009	5/32	0.001
10/12	0.002	20	0.005
10/9	0.003	21	0.016
10/6	0.003	23/1	0.004
10/5	0.004	23/2	0.003
10/4	0.003	32	0.008
		Total	0.082 Ha.

26. ग्राम तिघरा प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 58/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
344/4	0.004	276	0.004
344/3	0.002	277	0.002
344/2	0.001	269	0.001
344/1	0.001	267	0.003
341	0.002	216	0.001
316	0.004	218	0.001

217	0.002	67	0.001
210	0.004	64	0.005
208	0.001	59	0.001
197	0.001	60	0.001
201	0.001	57	0.003
200	0.001	62/1	0.003
199	0.002	168	0.004
153	0.001	101	0.005
150	0.002	94	0.002
142	0.001	95	0.001
147	0.001	Total	0.069 Ha.

27. ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 59 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 59/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
173	0.034	198	0.010
187	0.034	191	0.006
185	0.025	199	0.001
197	0.020	214	0.002
198	0.020	201	0.003
199	0.012	215	0.001
204	0.017	216	0.003
214	0.018	218	0.001
215	0.011	213	0.006
225	0.008	153	0.002
223	0.036	154	0.002
164	0.009	156	0.003
163	0.005	157	0.002
187	0.004	138	0.001
188	0.008	96	0.012
197	0.003	89	0.005
		Total	0.326 Ha.

28. ग्राम उमरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 60/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.378 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
25	0.002	38/1	0.001
24	0.006	36	0.001
35	0.006	37	0.004
36	0.013	33	0.009
21	0.004	28	0.004
38/1	0.008	29	0.004
38/2	0.009	30	0.008
48	0.011	30	0.002
46	0.014	198	0.001
47	0.004	56	0.003
85	0.018	55	0.001
87	0.011	57	0.002
110/1	0.025	201	0.002
109	0.007	199	0.004
110	0.003	239	0.002
103	0.009	240	0.002
103	0.003	246	0.002
111	0.007	244	0.001
113	0.018	245	0.001
208	0.003	87	0.004
209	0.006	86	0.005
210	0.003	69	0.003
211	0.012	68	0.001
215	0.003	65	0.003
216	0.005	64	0.002
214	0.004	61	0.004
225	0.007	140	0.006
232	0.004	139	0.002

149	0.004	11/13	0.001
162	0.006	103	0.002
161	0.001	111	0.005
160	0.003	110	0.010
157	0.002	116	0.016
176	0.006	103	0.004
177	03.001	99	0.001
293	0.001	93	0.001
87	0.002	99	0.001
90	0.001	Total	0.378 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी (मा. उ.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 11अ-82-19-20-खटगढ़-5821

बैतूल, दिनांक 25 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	खटगढ़	0.664	निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी नि० जावरा	59	0.745	0.068
2	शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी	62	2.128	0.049
3	चिन्धु, फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्बी निवासी जावरा	57	2.553	0.175
4	वमनराव पिता डोमा, सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग, दुर्गादास पिता पाण्डूरंग, संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्बी सा० देह	56/2	2.023	0.114
5	वच्छला बेवा नाथुराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला, मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्बी सा० देह	56/3	2.023	0.129
6	नर्मदा पिता यादोराव, रामू पिता यादोराव, रेणुगा पति यादोराव, हरि पिता यादोराव, पार्वती बेवा शंकर, बुधराव, गुलाब, अशोक पिता शंकर, तारा, मीरा, पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना, दिपिका पिता युवराज जाति कुन्बी सा० देह	56/4	2.363	0.129
			11.835	0.664

क्रमांक 12 अ-82-19-20-टिपनापुर-5822

बैतूल, दिनांक 25 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	टिपनापुर	1.052	निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	विट्ठलराव पिता भैया जाति कुन्बी नि०जावरा	8	2.000	0.086
2	मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्बी नि०जावरा	70	2.315	0.157

3	चिन्धी बेवा शेषराव जाति कुन्बी निवासी जावरा	71	1.943	0.132
4	खट्या पिता पुन्ज्या, मीरू पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी नि० जावरा	72 76	2.339 5.492	0.061 0.242
5	सुखदेव, जगन, निलेश, रमेश पिता घुस्या, सरू मुन्नी, गीता पिता घुस्या जाति कुन्बी निवासी जावरा	73	1.740	0.060
6	ललिता जौजा जगन जाति कुन्बी निवासी जावरा	74	1.619	0.060
7	यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी निवासी जावरा	75/1	4.702	0.254
योग			22.150	1.052

(2) चूँकि निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 30 अ-82-19-20-खरसाली-5819

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	खरसाली	3.167	हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.गे.)	अर्जित रकबा (हे.गे.)
1	2	3	4	5
1	देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा.हरदौली भूमि स्वामी	250/1	0.760	0.380
2	रामजी वल्द पन्ना पंवार सा.हरदौली भूमि स्वामी	250/2	0.760	0.760
3	घुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा.हरदौली भूमि स्वामी	250/3	0.807	0.807
4	रामराव, भोजराव राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्द्राव जाति कुन्बी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी	251 252/2	1.457 2.430	0.650 0.020
5	भीमराव उर्फ धुधराव, छोटु उर्फ रामू भीमराव, श्यामराव व. आनंदराव, सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	239/2	0.963	0.550
योग :-		05	7.177	3.167

- (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 31 अ-82-19-20-थावरिया-5814

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	थावरिया	5.010	हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश व० महादेव, वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या व० सरवन, गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु व० पंजाबराव, किरण पिता पंजाबराव सा० मुलताई	191/1	10.107	3.180
2	रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश व० महादेव, वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या व० सरवन, गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु व० पंजाबराव, किरण. पिता पंजाबराव सा० मुलताई	186/2	2.622	1.830
योग			11.937	5.010

- (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 32 अ-82-19-20-हरदौली-5817

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	हरदौली	7.023	हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	गेंदया प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामरती ना.बा.पिता बैजू वली मां नान्ही मेहरा भूमि पारडसिंगा	3	3.666	1.450
		5	0.364	0.364
2	सीताराम राजेश वल्द बीरबल जगोती बेवा बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ लक्ष्मण वल्द गेंदलाल रखिया बेवा गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द महकू लडको बेवा महपत कुंबी	4/1	0.144	0.144
3	चैतराम वल्द शिवजी सरोपी बेवा शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडक्या अजाबराव वल्द कैला कुंबी	7	0.324	0.324
		8	3.230	1.450
4	गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या श्यामा गजी व. बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा.पारडसिंगा	24	1.424	1.424
5	मंसाराम, हंसु, दशन वल्द छितरू रमोसी, रामोती पिता छितरू लंकी बेवा छितरू, सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंती पिता ओझा, जैना बेवा ओझा जाति गायकी सा.देह भूमि स्वामि	29	0.713	0.713
6	पूर्णा बे. डेपल्या , भादु व डेपल्या भागा सावल नान्ही पिता डेपल्या	36/2	1.102	0.160
7	दुल्या व साजू रेसुल तुलस कौशुल पिता साजू	38	1.518	0.670
8	खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या	39/1	0.324	0.324
	योग :-	10	12.809	7.023

(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 33 अ-82-19-20-चैनपुर-5812

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	चैनपुर	4.766	हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	घुडल्या व. सहादेव भिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धी पि. सहादेव कुन्बी सा.पारडसिंगा	252	0.304	0.304
		253	1.047	0.080
		270	0.648	0.648
		271	0.214	0.060
		274	0.308	0.308
		278	0.684	0.684
2	संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई जैनुबाई पिता गुलाबराव जाति कुन्बी सा. देह	280	2.189	2.189
3	इठोबा व. बाल्या गुलाबराव व. शिवराम येनु जिज्या करुणा मैना पिता लुगा सा.पारडसिंगा भूमि स्वामी जमा 0.44	281	0.801	0.801
	योग :-		5.887	4.766

(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-3-2020-सात-शा.7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 66 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17, 18, 20 तथा 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियाँ, समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में, अपनी-अपनी अधिकारिता में निहित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-3-2020-सात-शा.7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-3-2020-सात-शा.7, दिनांक 17 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th July 2020

No. F. 2-3-2020-VII-Sec.-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 66 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, invests the powers of district Survey Officer under rule 16, 17, 18, 20 and 21 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020 made under the provisions of the said Code in all Assistant Survey Officers in the areas notified by the Commissioner, Land Records, Madhya Pradesh under land Survey within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्र. C-1545-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार, (J-II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (J-II) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2020

क्र. A-1576-चार-8-42-77-भाग-सोलह.—श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 06 से 10 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2020

क्र. A-1299-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2019 तक के अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग

करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-1301-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 12 से 13 मार्च 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2020

क्र. D-2257-दो-2-35-2015.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2264-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2020 तक, ग्यारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2020

क्र. D-2363-दो-2-17-2015.—श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 9 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2365-दो-2-45-18.—श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 30 जून 2020 तक, 08 माह की अवधि के लिए 09 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2020

क्र. B-2278-दो-2-36-2018.—श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 29 जून से 2 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2281-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 8 से 19 जून 2020 तक, बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जून 2020 तक, सात दिन का तथा अवकाश के पश्चात् के अनुक्रम में दिनांक 20 से 24 जून 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2020

क्र. D-2552-दो-2-49-2013.—श्री कृष्णकांत शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 8 से 17 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णकांत शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णकांत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2554-दो-3-420-80-भाग-सोलह.—श्री संजय शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब (एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . . 217
अर्द्धवेतन अवकाश	. . . 083

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= _____ X 83

के एवज में नगद 30

भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार